कम्प्यूटर नं.- 2223040

पत्र सं0/जी0एस0टी0 टैक्स ऑडिट/2022–23/ 599 /राज्य कर

कार्यालय : कमिश्नर, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(जी0एस0टी0 ऑडिट)
लखनऊ :: दिनांक :: 10 अगस्त, 2022

समस्त अपर आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), राज्य कर,
समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), राज्य कर,
समस्त उपायुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर,
समस्त सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर,
समस्त राज्य कर अधिकारी (कर निर्धारण), राज्य कर।

जी0एस0टी0 पंजीयन जारी करने के सम्बन्ध में फील्ड से यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जी0एस0टी0 पंजीयन जारी करने में कई प्रकार की अनावश्यक आपत्तियां लगायी जा रही हैं, जिसके कारण जी0एस0टी0 पंजीयन जारी करने में विलम्ब हो रहा है तथा व्यापारी को अनावश्यक प्रताड़ित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पूर्व में मा0 उच्च न्यायालय, प्रयागराज द्वारा रिट टैक्स संख्या–1084/2021 रंजना सिंह बनाम कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स व दो अन्य के मामले में पारित आदेश दिनांक 09.12.2021 तथा रिट टैक्स संख्या–348/2021 अपैरेन्ट मार्केटिंग प्रा0लि0 बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य के मामले में पारित आदेश दिनांक 05.03.2022 के क्रम में कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के परिपत्र संख्या/जी0एस0टी0 ऑडिट/ 2021–22/कम्प्यू0परि0सं0/2122048 /227/वाणिज्य कर दिनांक 24.12.2021 तथा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–जी0एस0टी0 ऑडिट/2021–22/437/वाणिज्य कर दिनांक 22.03.2022 के द्वारा पंजीयन निस्तारण के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि जी0एस0टी0 पंजीयन जारी करते समय जी0एस0टी0 अधिनियम/नियम में अंकित प्राविधानों तथा पंजीयन के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी परिपत्रों को संज्ञान में रखते हुए पंजीयन प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की कार्यवाही की जाए। पंजीयन प्रार्थना पत्रों में अनावश्यक आपत्ति न लगायी जाए, यदि पंजीयन प्रार्थना पत्र में कोई कमी है तो उसे एक ही बार में अवगत करा दिया जाए तथा शीघ्रता से पंजीयन जारी किये जाएं, जिससे व्यापारी का अनावश्यक उत्पीड़न न हो।

जी0एस0टी0 पंजीयन का कार्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्राथमिकता सूची में होने के कारण तत्परता से पंजीयन जारी करना सुनिश्चित करें।

10.8.2022

(गीता सिंह)
अपर आयुक्त (जी0एस0टी0/विधि), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।